कार्यालयः राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः– 2344 /   दिनांकः– 18.11.2020

बन्दोबस्ती की सूचना

जयपाल सिंह स्टेडियम के दक्षिण भाग मे नव–निर्मित अटल स्मृति वेंडर मार्केट के चतुर्थ तल मे निगम स्वामित्व कि 01 बैंक्वेट हॉल, (5 वर्षो के लिए) 02 फूड कोर्ट (3 वर्षो के लिए) को मासिक किराया पर आवंटन हेतू इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। बैंक्वेट हॉल/फूड कोर्ट का आवंटन खुली डाक द्वारा किया जायेगा एवं उच्चतम बोली वाले को बैक्वेट हॉल/फूड कोर्ट आवंटित की जायेगी। डाक की सुरक्षित राशि 20/– प्रति वर्गफीट प्रतिमाह निर्धारित है जमानत की राशि के रुप में 50/–रु0 प्रति वर्गफीट प्रतिमाह के दर से बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त रांची नगर निगम, रांची के नाम से जमा करना होगा। बैंक्वेट हॉल/ 02 फुड कोर्ट का क्षेत्रफल एवं निविदा का आमंत्रण निम्न प्रकार से हैः–

बैक्वेट हॉल/फूड कोर्ट	क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	जमानत की राशि	निविदा प्राप्त करने की तिथि	निविदा निष्पादन की तिथि
Banqat Hall 01	11208	672480/-	15.12.2020 अपराह्न 1:00 बजे तक	15.12.2020 अपराह्न 3:00 बजे तक
Food Court 01	2325	139500/-		
Food Court 02	2325	139500/-		

नोट– 1. **आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2020 से 12.12.2020 तक किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय से आवेदन पत्र 500/–रू0 जमा कर प्राप्त किया जा सकता हैं।**

बन्दोबस्ती की नियम एवं शर्त्तें निगम वेबसाईट **www.ranchimunicipal.com** पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में रांची नगर निगम बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

18.11.2020

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची

निविदा की शर्ते।

1. डाक की सुरक्षित राशि 20/–रु0 (कर अतिरिक्त) प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह है।
2. आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2020 से 12.12.2020 तक 500/–रु0 जमा कर किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
3. निर्धारित सुक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।
4. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रुप में बैंक्वेट हॉल 6,72,480/–रु0 02 फूड कोर्ड 1,39,500/–रु0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, रांची नगर निगम रांची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।
5. जमानत की राशि बन्दोबस्त की राशि में समायोजित नहीं किया जाएगा। बन्दोबस्ती की अवधि समाप्त होने एवं बकाया राशि नहीं होने के उपरांत जमानत की राशि वापस कर दिया जाएगा।
6. निविदा प्रस्ताव में Banquet Hall/Food Court संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।
7. बैंक्वेट हॉल की अवधि 05 वर्षो के लिए एवं 02 फूड कोर्ड की अवधि 03 वर्षो के लिए मान्य होगा।
8. डाक राशि जमा नही करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुर्न निविदा आमंत्रित की जायेगी।
9. सफल निविदाता को जमानत की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।
10. डाक के एक सप्ताह एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक किया जायेगा।
11. डाक वक्ता को आवेदन पत्र के साथ जमानत की राशि के साथ बैंक ड्राफ्ट, हॉल्डिंग नं0 आधार कार्ड, पैन नं0 एवं जिला प्रशासन से चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12. Banquet Hall/Food Court में जल एवं विद्युत व्यवस्था आवंटियों को स्वयं करनी होगी।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Scanned with CamScanner

13. Banquet Hall/Food Court आवंटन रद्द किये जाने या Banquet Hall/Food Court छोड़ने की स्थिति में जमानत कि राशि वापस कर दी जायेगी। परन्तु Banquet Hall/Food Court खाली करने के एक माह पुर्व निगम कार्यालय को सूचित करना होगा।

14. Banquet Hall/ Food Court का स्वामित्व रांची नगर निगम का होगा एवं आवश्यकतानुसार निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी निरीक्षण करने को स्वतंत्र होगे।

15. किसी भी समय बिना किसी सूचना के डाक रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची को सुरक्षित होगा।

16. प्रति वर्ष 10% वृद्धि की जायेगी।

17. बन्दोबस्ती राशि के अतिरिक्त User चार्ज नियमानुसार देय होगा।

18. सफल बिडर द्वारा बन्दोबस्ती की राशि जमा नहीं किये जाने पर एकरारनामा रद्द किया जायेगा एवं उनका Security Deposit/Advance जब्त कर लिया जायेगा।

19. यदि सफल बिडर (Govt/PSU के अतिरिक्त) अपना स्थान 1 वर्ष पश्चात रिक्त करता है तो एक माह के पूर्व सूचना देकर उनका Security Deposit निगम के द्वारा बिना Interest वापस कर दी जायेगी, बशर्ते उनके कोई भी बकाया निगम में न हो। एक वर्ष के पूर्व स्थान रिक्त करने पर Security Deposit जब्त कर लिया जायेगा।

20. किसी तरह का अवैध व्यापार/गलत कृत पाये जाने पर एकरारनामा रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त करते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

21. Sub leasing/Sub letting की अनुमति नहीं दी जायेगी।

22 Banquet Hall/ Food Court का विज्ञापन JMA rule 2011 के अनुरुप होगा।

23. बिजली बिल का भुगतान सफल डाकवक्ता के द्वारा किया जायेगा।

24. Banquet Hall मे composting machine अग्निशामन यंत्र अधिष्ठापन करना अनिवार्य होगा।

25. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

26. बैंक्वेट हॉल, 02 फूड कोर्ड बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

Scanned with CamScanner

क्रमांक	राशि	निर्धारित समय
1	10 लाख रु0 से ऊपर	– 70% राशि 24 घंटे के अंदर एवं शेष 30% राशि वित्तीय वर्ष के 31 जून तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा 31 जून के पश्चात् निविदा की अवधि स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट :– राशि का भुगतान **Demand Draft/RTGS** के माध्यम से करना होगा

27. बन्दोबस्त राशि के विरूद्ध निर्धारित GST एवं TCS की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा तथा आवंटन के उपरांत निगम कार्यालय में GST No. देना अनिवार्य होगा। यदि किसी बन्दोबस्तधारी का GST निबंधन नहीं किया गया हो, तो उन्हें शपथ पत्र निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

28. निर्धारित शर्त्त के उल्लघंन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा– विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द एवं जमानत की राशि जब्त करके पुर्न निविदा आमंत्रित करने का अधिकार रांची नगर निगम को सुरक्षित होगा।

उप नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

Scanned with CamScanner